जिला विकास कार्यालय, बिजनौर

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओ पर सूचना

क0सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियॉ और कर्त्तव्य ।	ग्राम्य विकास विभाग अन्तर्गत जिला विकास कार्यालय, बिजनौर में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशानुसार रोजगार परक व गरीबी उन्नमून कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन किया जाता है। वर्तमान मे राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, पेयजल कार्यक्रम, स्वजलधारा कार्यक्रम, महामाया आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) आदि योजनाऐं संचालित है। इस अतिरिक्त संगठन द्वारा ग्राम्य विकास विभाग अन्तर्गत जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर कार्यरत समस्त सम्बन्धित संवर्गों के अधिकारियों /कर्मचारियों के शासकीय देयकों के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।
2	अपने अधिकारियो /कर्मचारियो की शक्तियॉ एंव दायित्व ।	सभी सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जनपद में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कार्यालय सहायक (लिपिक वर्गीय कर्मचारी) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अपने–अपने अधिकार/ कर्त्तव्यों के अनुरूप, शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन / निरीक्षण / पर्यवेक्षण का कार्य निष्पादित कर भलीभॉति अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।
4	अपने कर्तव्यो के निर्वहन के लिये स्वंय द्वारा निर्धारित मापमान।	जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी नियन्त्रक अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी नियन्त्रक अधिकारी का पद सृजित है। जिनके नियन्त्रण में रहकर समस्त अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्यों का सम्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है।
5	अपने नियन्त्रणाधीन धारित अपने कर्मचारियो द्वारा अपने कृत्यो के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका ओर अभिलेख।	संगठन द्वारा शासन स्तर पर घोषित नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्य करते हुए, अभिलेखों का रख–रखाव किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है तथा अवलोकनोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप जिला स्तर पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय / अनुमोदन उपरान्त कार्य सम्पादित कराये जाते है। यथा आवश्यक लोक सदस्यों के साभ भी परामर्श किया जाता है।
8	बोर्ड परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत लोगों के लिये सुलभ है ।	जिला प्रशासन की बैठक में, शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय /सुझाव लिये जाते हैं। तदानुसार संगठन द्वारा कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

9	अपने अधिकारियों एंव कर्मचारियों की निर्देशिका ।	संगठन द्वारा राज्य सरकार की ओर से समय–समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करते हुए, सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।
10	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों का मासिक तथा त्रमासिक विवरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एंव अन्य सम्बन्धित स्तर को उपलब्ध कराया जाता है तथा सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत नियमानुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक (वेतन) आदि का भुगतान किया जाता है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये सविंतरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुऐ अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।	यह संगठन पूर्णतया सरकारी है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के देयकों हेतु निर्धारित मदों में बजट उपलब्ध कराया जाता है, जिसका समुचित उपयोग कर व्यय विवरण प्रत्येक माह आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जाता है। इस संगठन द्वारो क्रियान्वित की जा रही योजनाओं हेत धनराशि भारत सरकार / राज्य सरकार स्तर से ही आवंटित होती है। उपलब्ध करायी गयी धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर, उसका उपभोग प्रमाण–पत्र आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य सम्बन्धित स्तरों को प्रेषित किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमो के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियो के ब्यौरे सम्मिलित हो।	महामाया आवास योजना जो एक लाभार्थी परक कार्यक्रम ह।, इस योजनान्तर्गत धनराशि जिला स्तर से सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित करते हुए सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को दी जाती है, धनराशि को शासन की मंशा के अनुरूप लाभार्थी हित में, लाभार्थी से समुचित उपभोग कराने का दायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का होता है। शेष अन्य कार्यक्रमों का सम्पादन विकास खण्डों को वांछित धनराशि भेजते हुए कराया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओ की विशिष्टियॉ	शासन के निर्देशानसुार जनपद स्तर एवं विकास खण्डों के माध्यम से गोष्ठियां का आयोजन एवं प्रदर्शन कार्यक्रम कराया जाता है।
14	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	संगठन द्वारा समस्त सूचनायें संकलित कर सी0डी0 में अथवा हार्ड प्रति के रूप में उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं तथा आवश्यकतानुसार समाचार–पत्रों में प्रचार–प्रसार भी कराया जाता है। शासन की मंशा के अनुरूप पंचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स भी लगाये जाते है।
15	सूचना अभिप्राप्त कराने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ।	शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन संगठन द्वारा विकास खण्डों के माध्यम से कराया जाता है। नागरिकों द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाऍ नियमानुसार उपलब्ध करायी जाती है। आय–व्यय का ब्यौरा ग्राम पंचायत स्तर पर किसी सार्वजनिक भवन की दीवार पर पेंट कराया जाता है। पुस्तकालय व वाचन कक्ष की व्यवस्था विकास खण्डों में है। वर्तमान में जन सामान्य की कम अभिरूचि के कारण प्रचलन प्रभावित है।
16	जन सूचना अधिकारियो के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ ।	ग्राम्य विकास विभाग अन्तर्गत जिला विकास कार्यालय, बिजनौर में संचालित योजनाओं आदि की सूचनाएं /जानकारी उपलब्ध कराने हेत, सूचना अधिकार अधिनियिम के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के रूप में श्री मातादीन हंस जिला विकास अधिकारी तैनात है।

जिला विकास अधिकारी /
जन सूचना अधिकारी (विकास)
बिजनौर।